FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौडगढ

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा– पत्थरगढी नं. 03 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	[illegible]
30.1.23	प्रार्थी की ओर से वकील श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बिलोदा पटवार मण्डल बिलोदा तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 74 रकबा 2.4770 हेक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नही है। तथा विपक्षीगण आराजी के पडौसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्रार्थी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हे नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को 2000– अक्षर दो हजार रुपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति मे बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त मे दखल दिये मौजा बिलोदा पटवार मण्डल बिलोदा तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 74 रकबा 2.4770 रकबा 2.4770 हे0/बीघा भूमि की पत्थरगढी मुकम्मल तौर पर की जावें। पत्थरगढी पालना प्रतिवेदन दिनांक 21.4.23 तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो। पत्रावली फसल [illegible] नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2023.03.15 18:19:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner